जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 37/17

अपील सूचना अधिकार संख्या 37/2017 अनवानी श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह निवासी 3 एफ बी (शेखसरपाल) पो0 आ0 माझीवाला गोविन्दगढ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–12–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय पाल सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय पाल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1- Certified copy of application given on prescribed performa RTI u/s 6(1) Under month dated Feb 6, 2017 or repply of certified copy of Indian Arms Act 2016 passed by Home department Govt of India and Govt. of Rajasthan Home Department Jaipur.
2- Certified copy of Application presented to collector Giana Ram in his office by hand in English version dated 24-06-2017 Monday to drew certified copy of Indian Arms Act 2016 passed by Govt. of India, Home department Delhi and also passed by Govt of Rajasthan, Home department Jaipur.

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र. पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 8868 दिनांक 06.11.2017 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री विजय सिंह ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2017 के द्वारा आयुद्य नियम 2016 की प्रमाणित प्रति चाही है इस संबंध में उनके कार्यालय के पत्रांक 3196–98 दिनांक 15.05.2017 द्वारा वेबसाईट से सूचना प्राप्त करने के लिए सूचित किया जा चुका है।

अतिरक्त जिला मजि0, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 3196–98 दिनांक 15.05.17 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

क.सं.	बिन्दु	जवाब
1.	आयुद्य नियम 2016 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने बाबत।	संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार जयुपर के पत्रांक प. 1(13)गृह–9/2006 पार्ट दिनांक 07.09.2016 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 494 नई दिल्ली दिनांक 15.07.2016 से अधिसूचित आयुद्य अधिनियम 2016 की प्रति वेबसाईड www.mha.nic.in पर उपलब्ध है।

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर 37/17
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई आयुद्य नियम 2016 की प्रमाणित प्रति के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार जयुपर के पत्रांक प.1(13)गृह–9/2006 पार्ट दिनांक 07.09.2016 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 494 नई दिल्ली दिनांक 15.07.2016 से अधिसूचित आयुद्य अधिनियम 2016 की प्रति वेबसाईड www.mha.nic.in पर उपलब्ध होना सूचित किया गया है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह उक्त वेबसाईड पर आयुद्य अधिनियम 2016 की प्रतिलिपि प्राप्त करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 15.05.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 2243-44 02.01.18

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर